सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टॉटगढ (अजमेर.)

1. करमसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ
2. श्रवणसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ

बनाम

1. पेमाराम रेजर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज रावली बेहेसित खुद बेहसित पदेन तहसील टॉडगढ
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर)
3. राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलक्टर अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

मौजा ग्राम मालातो की बैर खसरा नम्बर 15341, 15347, 15339, 15345 मौजा मालातो की बैर पटवार हल्का मालातो की बैर तहसील टॉडगढ जिला अजमेर की भूमियो वादीगण एंव सहखातेदारी की भूमियो है जिनका रक्षा सुरक्षा के लिए वादीगण को वाद दायर करने की विधिक अधिकार है तथा सहखातेदारान ने लिखित मे अपनी भूमियो की रक्षा सुरक्षा मे दी है । दिनांक 22.11.2017 को प्रतिवादी सख्या 1 ने अपने व अन्य सहयोगीयो के साथ साथ 20 अन्य ग्रामवासियो का सहयोग लेकर उक्त भूमियो पर उगी चना व रायडा की फसल को नष्ट किया है और खेतो की रक्षा सुरक्षा मे तार बन्दी के लिए लाये सारे सामान को लुट ले जाने के साथ साथ बीस अन्य ग्रामवासी से लेंस लेकर प्रतिवादी स. 1 वादीगण के उक्त खेतो पर आये औरा खडी फसल को जरिये ट्रेक्टर घुमाकर सभी खेतो की फसल को नष्ट कर दिया जिससे वादीगण की बुवाई 20000/– रूपये का नुकसान कर दिया और फसल की सुरक्षा मे वादीगण ने दो मजदूर लगा रख थे उनका नुकसान कर दिया व फसल की बुवाई के पश्चात अच्छी फसल हेतु सिंचाई के लिय डीजल 7000/– रूपये का जलाकर खेतो की सिचाई का कार्य किया जिसमे अच्छी फसल खडी हुई उसका नुकसान कर दिया खेतो पर दो बोरी मक्की व एक बोरी बाजरी 50 किलो तील पडे थे उनको जानबूझ कर मय ईरादा प्रतिवादी सं. 1 ने अपने सहयोगियो सहित किया। प्रतिवादी सं. 1 15.गुणा 15 की ओडी को प्रतिवादी सं.1 ने अपने कब्जे मे कर उठा कर ले गये तथा वादीगण ने आनी खातेदारी की उक्त भूमियो पर तारबन्दी के लिये लोहे का तार लेकर आये थे उसको भी लूट कर ले गये लोहे केरेट जालीया जो कि करीब 25 लगभग थे उनको लेकर चले गये 11 नगलोहे के चदर थे उनको लूट ले गये तथा करीब 20 नग लोहे की छोटे एंगल व 20 बडे एंगल के नग को भी प्रतिवादी सं. 1 लूट कर ले गये तारबन्दी के लिये 150 एंगल छोटे लोहे के एक पानी का इंजन व तीन सौ फिट पी.वी.सी पाईप व घरेलू सामान मार्बल की पटटीयां कातले,15000/– ईटे, 20 गुणा 20 के पाल लुट कर ले गये इसका कारण खेतो की रक्षा सुरक्षा मे यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 का वाद मे वर्णित भूमियो से कत्तई कोई संबंध एंव सरोकार नही है और ना ही कभी वादीगण ने प्रतिवादी स.1की भूमि का इस्तेमाल किया है । प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी स.1 लगायात 3 राजस्थान सरकार के अधिकारी एंव कर्मचारी है जिनके विरूद्ध कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा इस कारण अलग से कानूनी अवधि से छूट बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कानूनी अवधि से छूट ली गयी है। उपरोक्त कारणो से वादीगण के हक मे प्रथम दृष्टया केस बेखुबी साबित है,उपरोक्त कारणो से वादीगण के हक मे सुविधा का संतुलन है। यह है दिनांक 22.11.2017 की घटना के दिन प्रतिवादी स.1 ने धमकी दी है कि वह वादीगण को उपरोक्त वर्णित खेतो पर खेती नही करने देगा।

---------निरन्तर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टॉडगढ, जिला-अजमेर

रणवीर सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वाद मे वर्णित भूमियो का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उसमे प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय ना ही उनके नौकर चाकर एंजेट ठेकेदार मुख्तीयार आम इत्यादि दखल अंदाजी ना करे ना भूमियो पर आवे ना ही भूमियो की डोल पाल सेरा पाली रूख दरकत पान पापडी रगत पडत पानी ढाल इत्यादि को क्षति नही पहुचावे तथा वादीगण द्वारा अपने खेतो की रक्षा सुरक्षा मे की जा रही तारबन्दी मे दखल अंदाजी नही डाले और ना ही खेतो की सिचाई के लिए पाईन लाईन डालने मे दखल अंदाजी डाले तथा सिचाई के लिए पानी लेने मे दखल अंदाजी नही डाले एंव फसलो की रक्षा सुरक्षा मे वादीगण की अपनी अपनी सुरक्षा के अनुंसार जो कोई निर्माण करे तो उसमे दखल अंदाजी नही करे। वाद परिस्थितियो के अनुसार वादीगण के हक मे हो प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलवाया जावे ।

उभयपक्षान की बहस वादपत्र पर सुनी गई। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि इस संबंध मे सहायक वन संरक्षक रावली टॉडगढ़ अभ्यारण मु. भीम द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव रावली को जारी पत्र क्रमांक एफ() सवसं/जांच/2019–20/106 की तथ्यात्मक जाचं रिपोर्ट अनुसार श्री करमसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर तहसील टॉडगढ के विरूद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 34 (क) के अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है क्योंकि उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं होकर वादी की खातेदारी की भूमि है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो तो कार्यावाही की जा सकती है जबकि यहां वादी की स्वयं की खातेदारी की भूमि है जिसे स्वयं सहायक वन संरक्षक रावली टॉडगढ़ अभ्यारण मु. भीम ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। सरकार पेरोकार जरिये तहसीलदार टॉडगड से प्राप्त जवाब एंव पटवारी हल्का मालातो की बैर के लिखित बयान एंव जवाब के अनुसार उक्त भूमि श्री करमसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर तहसील टॉडगढ की खातेदारी भूमि है।

ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 रेजर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज रावली बहेसित खुद बेहसित पदेन तहसील टॉडगढ को आदेश दिया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि से समस्त जब्त शुद्धा साम्रगी को नियमानुसार वादीगण को सुपर्द किया जावे तथा जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अविधिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तथा वादीगण को हिदायत दी जाती है कि वे उक्त खातेदारी भूमि में भविष्य में फसलों की सुरक्षा हेतु तथा भविष्य में कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-05-2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी टॉडगढ़, जिला-अजमेर

(रणवीर सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ

रणवीर सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम टॉडगढ़
व अजलाम रणवीर सिंह चौहान आर. ए. एस.
राजस्व वाद संख्या 33/2017

1. करमसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ
2. श्रवणसिह पुत्र रामसिह जाति रावत निवासी मालातो की बैर बुबआ तहसील टॉडगढ

बनाम

1. पेमाराम रेजर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज रावली बेहेसित खुद बेहसित पदेन तहसील टॉडगढ
2. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर)
3. राजस्थान सरकार बजरिये जिला कलक्टर अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी................मिनजामिन मुददई रूबरू...................मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है, कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 01 रेजर क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज रावली बहेसित खुद बेहसित पदेन तहसील टॉडगढ को आदेश दिया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि से समस्त जब्त शुद्धा साम्रगी को नियमानुसार वादीगण को सुपर्द किया जावे तथा जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अविधिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तथा वादीगण को हिदायत दी जाती है कि वे उक्त खातेदारी भूमि में भविष्य में फसलों की सुरक्षा हेतु तथा भविष्य में कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी..................मुबलिक..................बाबत...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.........................की अदा करें।

बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 30-05-2019 को जारी किया गया।

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, टॉडगढ़, जिला-अजमेर)

(हस्ताक्षर)
रणवीर सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, टॉडगढ़, जिला-अजमेर)

(हस्ताक्षर)
रणवीर सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
टॉडगढ

Scanned by CamScanner